उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-210/2016/आर-5750/26-3-2016-रिट(34)/2015
लखनऊः दिनांकः 02 दिसम्बर 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रकरण यह है कि श्री माजिद अली पुत्र वाजिद अली निवासी झुरूकझुण्डी, तहसील-टाण्डा, जनपद रामपुर द्वारा स्वयं को कथित रूप से 'शेख सरवरी' अन्य पिछड़े वर्ग का होना बताते हुये गलत साक्ष्यों के आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण पत्र संख्या-2986/05, दिनांक-31.12.2005 प्राप्त करते हुये वर्ष 2010 में पंचायत चुनाव में ग्राम झुरूकझुण्डी, तहसील-टाण्डा, जिला रामपुर जोकि अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित था से चुनाव लड़कर निर्वाचित हुआ गया। श्री माजिद अली के ग्राम प्रधान चुने जाने के उपरान्त इनके पटीदारों व बिरादरी के श्री शराफत पुत्र बुद्वा निवासी ग्राम झुरूकझुण्डी तहसील टाण्डा, जिला रामपुर ने इस आशय का शिकायती पत्र जनपद स्तरीय जाति सत्यापन समिति, रामपुर के समक्ष प्रस्तुत किया कि श्री माजिद अली 'शेख' सामान्य जाति का व्यक्ति है, जिसने अवैधानिक तरीके से गलत साक्ष्यों को प्रस्तुत करके 'शेख सरवरी' पिछड़ी जाति का जाति प्रमाण पत्र संख्या-2986/05 दिनांक-31.12.2005 बनवाया है जिसे निरस्त किया जाय।

2- श्री शराफत पुत्र बुद्वा के शिकायती प्रार्थना पत्र पर जनपद स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी, रामपुर द्वारा प्रकरण की उपजिलाधिकारी, टाण्डा, जिला रामपुर से जाँच करायी गयी। उपजिलाधिकारी, टाण्डा ने जांचोपरान्त अपनी जांच आख्या दिनांक 24.06.2011 में यह उल्लेख किया कि विधिवत जाँच से श्री माजिद अली पुत्र वाजिद अली निवासी ग्राम झुरूकझुण्डी की जाति सामान्य जाति की 'शेखजाद' ही साबित होती है, पूरे गांव झुरूकझुण्डी में 'शेख' ही निवास करते हैं जोकि सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आती है। श्री माजिद अली ने गलत तरीके से तहसील सदर से अन्य पिछड़े वर्ग की 'शेख सरवरी' जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया है। जनपद स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी, रामपुर ने उपजिलाधिकारी, तहसीलदार टाण्डा की जाँच से सहमति व्यक्त करते हुये श्री माजिद अली को सामान्य जाति का होना पाया। उपजिलाधिकारी की इस आख्या के उपरान्त अपीलार्थी श्री माजिद अली के प्रार्थना पत्र पर पुनः जिला स्तरीय जांच समिति, रामपुर द्वारा इस प्रकरण की विधिवत सुनवाई एवं जांच करायी गयी जिसमें समिति द्वारा यह निष्कर्ष सम्पादित किया गया कि श्री माजिद अली पुत्र वाजिद अली निवासी झुरूकझुण्डी, तहसील टाण्डा जिला रामपुर की जाति मुस्लिम 'शेख' है और तहसीलदार सदर द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या-2906/05, दिनांक-31.12.2005 को निरस्त किया गया तथा जनपदीय कमेटी द्वारा यह भी आदेश पारित किया गया कि श्री माजिद अली के शैक्षिक अभिलेखों में हेराफेरी रखने के अपराध में उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही जिला विद्यालय निरीक्षक कासगंज (एटा) द्वारा की जाय।

3- जनपद स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी, रामपुर के उक्त निर्णय दिनांक 04.01.2014 के विरूद्ध होकर अपीलार्थी श्री माजिद अली ने आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद के समक्ष मण्डलीय अपीलीय फोरम में अपील प्रस्तुत की गयी। मण्डलीय अपीलीय फोरम ने अपने निर्णय दिनांक-10.07.2015 जो आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद के कार्यालय पत्रांक-22/अपील/उ.नि./पि.व.क./2015-16, दिनांक-13.07.2015 द्वारा निर्गत हुआ है, में फोरम द्वारा जनपद स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी के निर्णय से सहमति व्यक्त करते हुये यह निर्णय लिया गया कि श्री माजिद अली पुत्र श्री वाजिद अली निवासी ग्राम झुरूकझुण्डी, तहसील टाण्डा जनपद रामपुर की जाति 'मुस्लिम शेख' सामान्य वर्ग की है और तहसीलदार, सदर, रामपुर द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या-2986/05, दिनांक-31.12.2005 को निरस्त कर दिया गया।

4- मण्डलीय अपीलीय फोरम, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद के उक्त निर्णय दिनांक-10.07.2015 के विरूद्ध श्री माजिद अली द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में सम्प्रति रिट याचिका संख्या-48939/2015

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

माजिद अली बनाम उ0प्र0 राज्य व 02 अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-01.09.2015 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया:-

The petitioner is a sitting Pradhan, claims to belong to backward Muslim class, Sheikh Sarwari Pirai which has been notified as Other Backward Class by the State. On a complaint, the District Magistrate, Rampur vide order dated 4 January 2015 cancelled the petitioner's caste certificate holding that the petitioner does not belong to the other backward class category but to general category. Aggrieved, petitioner preferred an appeal before the Commissioner, Moradabad Division Moradabad which was rejected by the impugned order dated 10 July 2015, petitioner is assailing the aforementioned orders.

The learned Standing Counsel appearing for the respondents would submit that as per the Government Order dated 10 February 2011, petitioner has a remedy before the State Level Scrutiny Committee.

This fact is not being disputed by learned counsel for the petitioner. Be that as it may, without entering into the merits of the case, it is provided that the petitioner would prefer an appeal before the State Level Scrutiny Committee within two weeks from today. In the event of such an appeal being preferred before the State Level Scrutiny Committee, it is expected that the appeal shall be considered and decided expeditiously, preferably within the next six weeks from the date of filing of certified copy of this order after giving opportunity of hearing to the District Authorities. With the aforementioned observations/directions, the writ petition is finally disposed of.

5- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में याची की अपील दिनांक-14.09.2015 शासन को प्राप्त हुई। कार्मिक अनुभाग-2 उ0प्र0शासन के शासनादेश संख्या-22/16/92-का-2/1966 टी.सी.-III, दिनांक-05.01.1996 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय में गठित सतर्कता प्रकोष्ठ से प्रकरण की जांच करायी गयी। निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण के पत्र दिनांक-17.08.2016 द्वारा सतर्कता प्रकोष्ठ की जांच आख्या दिनांक-11.08.2016 राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी को विचारार्थ उपलब्ध करायी गयी। तत्क्रम में राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी द्वारा सुनवाई की तिथि दिनांक-14.05.2015 को निर्धारित की गयी। शासन के पत्र दिनांक-26.10.2016 द्वारा राज्य स्तरीय स्क्रुटनी की सुनवाई की सूचना याची श्री माजिद अली एवं विपक्षी श्री शराफत पुत्र बुद्धा निवासी ग्राम-झुरूकझुण्डी, तहसील, टांडा जनपद-रामपुर को देते हुये उन्हें अपना पक्ष समिति के समक्ष रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया था। तत्क्रम में राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी की सुनवाई की तिथि दिनांक-03.11.2016 को विपक्षी श्री शराफत अली उपस्थित हुये। सुनवाई में अपीलार्थी श्री माजिद अली उपस्थित नही हुये। राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया।

6- सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा प्रकरण की जाँच में श्री दीपक कुमार भटनागर, लेखपाल ग्राम सभा क्षेत्र हमीरपुर, झुरूकझुण्डी तहसील-टाण्डा, रामपुर एवं श्री माजिद अली तथा विपक्षी श्री शराफत अली का बयान लिया गया। सतर्कता प्रकोष्ठ को जाँच के समय सम्बन्धित क्षेत्रीय लेखपाल एवं श्री माजिद अली एवं श्री शराफत अली द्वारा निम्नवत् बयान दर्ज कराये गये:-

(1) बयान लेखपाल

"श्री दीपक कुमार भटनागर पुत्र स्व0 श्री सुरेश चन्द्र भटनागर, निवासी ग्राम व पोस्ट दढ़ियाल, तहसील टाण्डा, जिला रामपुर वर्तमान में लेखपाल ग्राम/क्षेत्र हमीरपुर/झुरूकझुण्डी, तहसील टाण्डा, जनपद-रामपुर में तैनात हैं। उम्र लगभग 30 वर्ष ने पूछने पर बताया कि श्री माजिद अली पुत्र वाजिद अली निवासी ग्राम झुरूकझुण्डी,तहसील टाण्डा जनपद रामपुर को इसी तहसील से दिनांक 24.04.1995 की प्रमाण पत्र संख्या 960 जोकि 'शेख सरवरी' जाति जोकि पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत आरक्षित है, जारी हुआ था, जिसके विरूद्व श्री शराफत पुत्र बुद्धा निवासी ग्राम झुरूकझुण्डी तहसील थाना-टाण्डा, जनपद रामपुर ने यह शिकायत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था जिस पर जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति रामपुर ने जांच

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

के उपरानत यह पाया कि श्री माजिद अली उपरोक्त की जाति 'मुस्लिम शेख' है, जो कि सामान्य जाति में आती है। इसी आधार पर तहसीलदार, सदर जनपद-रामपुर द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या 2986/2005 दिनांक-31.12.2005 को निरस्त किया गया था इसके साथ ही उक्त आदेश में जिला विद्यालय निरीक्षक, कासगंज (एटा) को शैक्षिक अभिलेखों में हेराफेरी करने के अपराध में नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही श्री माजिद अली के विरूद्व करने का निर्देश दिया गया। श्री माजिद अली ने उक्त जिला स्तरीय कमेटी की जांच के विरूद्व मण्डलीय अपीलीय फोरम मण्डल, मुरादाबाद को दिनांक 22.11.2014 में अपील की जिसे फोरम ने जांचोपरान्त दिनांक 10.07.2015 को निरस्त कर दिया और श्री माजिद अली को जाति को 'मुस्लिम शेख' जोकि सामान्य जाति में आती है, का होना पाया। इसी प्रकरण में मो0 अली पुत्र शब्बीर हुसैन निवासी ग्राम मुस्लिम पुरा बजटपट्टी तहसील टाण्डा जनपद रामपुर ने श्री माजिद अली के विरूद्व दिनांक 25.01.2011 को फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा कर चुनाव लडने व गाली-गलौज करने तथा जान से मारने की भी धमकी के संबंध में थाना टाण्डा में एफ0आई0आर0 दर्ज कराई थी। श्रीमान संजय कुमार वर्तमान तहसीलदार टाण्डा सरकारी कार्य की व्यस्तता के कारण नहीं आ सके उन्होंने अपना प्रत्यावेदन/बयान जो कि स्वहस्ताक्षरित है मयजांच आख्याओं व अन्य अभिलेखों के साथ प्रेषित किया है, जो आपको प्रेषित है, जो बोला वही लिखा गया। पढ़कर हस्ताक्षर बनाता हूँ।''

(2) बयान शिकायतकर्ता

''श्री शराफत पुत्र श्री बुद्वा निवासी ग्राम झुरूकझुण्डी तहसील टाण्डा थाना-टाण्डा, पोस्ट-धीरनगर, उम्र 52 वर्ष ने पूछने पर बताया कि मेरी जाति 'शेख शहजादे है जोकि सामान्य जाति के अन्तर्गत आती है। मेरे दो परिवार में चचा के लड़के श्री माजिद अली पुत्र वाजिद अली ने ग्राम प्रधानी के चुनाव में जोकि पिछड़ी जाति में आरक्षित थी। वर्ष 2010 के प्रधान के चुनाव में उसने फर्जी ढंग से 'शेख सरवरी' जाति का जोकि पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आती है, का जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया था तभी मुझे ज्ञात हुआ, परन्तु श्री माजिद अली चुनाव जीत गये थे तथा उन्होंने पूरी प्रधानी काट ली है। सबसे पहले मैने तहसील टाण्डा में तत्कालीन तहसीलदार/एस0डी0एम0 से जांच कराई जिसमें तहसीलदार महोदय ने भी श्री माजिद अली को फर्जी पाया और इनकी जाति 'शेखजादे' जोकि मान्य है पायी इसी आधार पर तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने भी इनका जाति प्रमाण पत्र खारिज कर दिया था। सत्य यह है कि जब पूरे गांव और परिवार और बिरादरी में 'शेख सरवरी' जाति की कोई भी नहीं रहता है श्री माजिद अली पुत्र श्री वाजिद अली भी 'शेखजादे' ही है जोकि सामान्य जाति के अन्तर्गत ही आते हैं। इसके बाद उससे झुब्ध होकर श्री माजिद अली मा0 उच्च न्यायालय गये और फिर राज्य स्तरीय कमेटी से जांच करायी है जो बोला वही लिखा गया उसे ही पढ़कर हस्ताक्षर/अंगूठा बनाता हूँ।''

(3) बयान तहसीलदार

श्री माजिद अली पुत्र वाजिद अली निवासी-ग्राम झुरूकझुण्डी तहसील टाण्डा जनपद रामपुर की जाति सत्यापन के संबंध में आख्या इस प्रकार से है:-

''महोदय प्रार्थी श्री आस मौहम्मद पुत्र श्री हामिद अली नि0 ग्राम झुरूकझुण्डी तहसील टाण्डा, जनपद रामपुर द्वारा तहसीलदार सदर, रामपुर के यहां दिनांक 20.12.2010 को माजिद अली पुत्र वाजिद अली नि0 ग्राम झुरूकझुण्डी तहसील टाण्डा जनपद रामपुर के विरूद्व पिछड़ी जाति (शेख सरवरी) का जाति प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाये जाने की शिकायत की गई। उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए तत्कालीन तहसीलदार सदर, रामपुर द्वारा तत्कालीन राजस्व लिपिक से आख्या मांगी गई। चूंकि वर्ष 2010 में संबंधित ग्राम झुरूकझुण्डी तहसील टाण्डा के अन्तर्गत आ गया था। अतः तहसील टाण्डा से जांच आख्या तलब की गई। प्रकरण के संबंध में तत्कालीन तहसीलदार के आदेश दिनांक-24.12.2010 के अनुपालन में तत्कालीन लेखपाल श्री सोमपाल सिंह द्वारा जांच कर अपनी आख्या दिनांक-27.12.2010 को प्रेषित की गई। जिसे तत्कालीन तहसीलदार टाण्डा द्वारा दिनांक-28.12.2010 को तहसीलदार सदर को प्रेषित किया गया। उक्त जांच आख्या से यह तथ्य सामने आया कि (1) माजिद अली ने तहसील सदर रामपुर से दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

24.04.1995 को शेख सरवरी जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाया था जोकि पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आती है। (2) क्षेत्रीय जनता के अनुसार ग्राम झुरूकझुण्डी में 'शेख सरवरी' जाति नहीं है 'शेख' जाति के लोग निवास करते हैं जोकि सामान्य जाति में आते हैं (3) श्री भागीरथी इण्टर कालेज, तुलसी जन्म भूमि, सौरो शुकर क्षेत्र, काशीराम नगर द्वारा जारी टी0सी0 में श्री माजिद अली पुत्र वाजिद अली नि0 ग्राम झुरूकझुण्डी की जाति व धर्म मुस्लिम (शेख) इस्लाम अंकित है इसके साथ ही 1359 फसली की खतौनी में भी माजिद अली के पूर्वजों की जाति शेख दर्ज है जोकि पिछड़ी जाति में नहीं आती है। सुलभ संदर्भ हेतु प्रकरण के संदर्भ में तत्कालीन लेखपाल की जांच आख्या दिनांक 27.12.2010 जिसे की तत्कालीन राजस्व निरीक्षक द्वारा संस्तुति सहित दिनांक 28.12.2010 को तत्कालीन तहसीलदार टाण्डा को प्रेषित किया गया व तत्कालीन तहसीलदार टाण्डा द्वारा दिनांक 28.12.2010 को तहसीलदार सदर रामपुर का सम्प्रेषित किया गया कि छायाप्रति संलग्न है।

इसके साथ ही उक्त प्रकरण के संदर्भ में श्री शराफत पुत्र श्री बुद्धा नि0 ग्राम झुरूकझुण्डी तहसील टाण्डा, जनपद रामपुर द्वारा ग्राम प्रधान माजिद अली पुत्र वाजिद अली नि0 ग्राम झुरूकझुण्डी तहसील टाण्डा, जनपद रामपुर के विरूद्ध जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति रामपुर के समक्ष प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र के संबंध में जिला स्तरीय समिति द्वारा पारित निस्तारण आदेश की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि श्री माजिद अली द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत अभिलेख मिथ्यात्मक हैं जोकि विचार करने योग्य नहीं हैं और समिति का निष्कर्ष है कि माजिद अली पुत्र वाजिद अली निवासी-ग्राम झुरूकझुण्डी तहसील, टाण्डा जनपद-रामपुर की जाति मुस्लिम शेख है तथा तहसीलदार, सदर जनपद-रामपुर द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या-2986/2005, दिनांक-31.12.2005 निरस्त किया जाता है। इसके साथ ही उक्त आदेश मे श्री माजिद अली के शैक्षिक अभिलेखों में हेराफेरी करने के अपराध में जिला विद्यालय निरीक्षक कासगंज को नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया है।

महोदय जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति, रामपुर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध श्री माजिद अली पुत्र वाजिद अली नि0 ग्राम झुरूकझुण्डी तहसील टाण्डा, जनपद रामपुर द्वारा प्रस्तुत अपीलीय प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2014 के संदर्भ में माननीय आयुक्त मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद की अध्यक्षता में आयोजित मण्डलीय अपीलीय फोरम द्वारा भी दिनांक 10.07.2015 को जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति रामपुर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने पर मण्डलीय अपीलीय फोरम द्वारा भी श्री माजिद अली पुत्र वाजिद अली नि0 ग्राम झुरूकझुण्डी तहसील टाण्डा, जनपद रामपुर की जाति मुस्लिम शेख मानते हुए तहसीलदार सदर रामपुर द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या 2986/2005 दिनांक 31.12.2005 को निरस्त किया गया है।

उक्त प्रकरण में मो0 अली पुत्र शब्बीर हुसैन नि0 ग्राम मुतियापुरा बजटपटटी तहसील टाण्डा, जनपद रामपुर द्वारा माजिद अली पुत्र वाजिद अली नि0 झुरूकझुण्डी तहसील टाण्डा, जनपद रामपुर के विरूद्ध दिनांक 25.01.2011 को फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ने व गाली गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी के संबंध में थाना व तहसील टाण्डा जिला रामपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके साथ ही मो0अली द्वारा माजिद अली के विरूद्ध न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या-1 रामपुर में अन्तर्गत धारा 156-3 दण्ड प्रक्रिया संहिता में दायर वाद में मा0 न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.01.2011 द्वारा श्री माजिद अली के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधि अनुसार विवेचना किये जाने तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति न्यायालय को प्रेषित किये जाने का आदेश पारित किया गया। मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 22.01.2011 के विरूद्ध श्री माजिद अली द्वारा मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायधीश, रामपुर के यहां रिवीजन दायर की गई। जिसमें मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायधीश, रामपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.01.2011 द्वारा माजिद अली द्वारा की गयी अपील को खारिज कर दिया गया।"

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

7- सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा जाँच के समय पक्ष एवं विपक्ष तथा राजस्व कर्मियों द्वारा दिये गये बयानों एवं प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों का निम्नवत् साक्ष्य विश्लेषण किया गयाः-

(1)-श्री माजिद अली पुत्र वाजिद निवासी झुरूकझुण्डी, तहसील-टाण्डा, जनपद रामपुर ने राज्य स्तरीय राज्य समीक्षा समिति, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के एक अपील बनाम/आयुक्त मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद, 2. जिला स्तरीय जाति सत्यापन समिति, रामपुर, 3. जिलाधिकारी, रामपुर जिसने जिला स्तरीय जांच समिति की आख्या व मण्डलीय फोरम की आख्या संलग्न है जिसमें श्री माजिद अली पुत्र श्री वाजिद को सामान्य जाति का साबित किया गया है तथा पूर्व में निर्गत 'शेख सरवरी' जाति के प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया है।

(2)-श्री माजिद अली पुत्र वाजिद अली उपरोक्त का तहसीलदार दादर, रामपुर द्वारा निर्गत 'शेख सरवरी' जाति का जाति प्रमाण पत्र संख्या 2986/05 की छायाप्रति।

(3)-श्री माजिद अली उपरोक्त ने मा0 उच्च न्यायालय ने अपने प्रकरण के संबंध में एक रिट याचिका संख्या 48939/2015 बनाम राज्य सरकार व अन्य को विरूद्ध योजित की थी जिसमें याची को मा0 उच्च न्यायालय ने अपील दायर करने के निर्देश दिये हैं।

(4)-वर्तमान तहसीलदार टाण्डा, जनपद रामपुर श्री संजय कुमार ने दिनांक 23.01.2016 को इसी प्रकरण के संबंध में एक स्व-हस्ताक्षरित 22 पृष्ठीय आख्या जोकि 'सतर्कता प्रकोष्ठ' को सम्मिलित है प्रेषित की है जिसमें उन्होंने श्री माजिद अली पुत्र वाजिद निवासी ग्राम झुरूकझुण्डी, तहसील टाण्डा, रामपुर की जाति की 'मुस्लिम शेख' बताया है जोकि सामान्य होगी, के अन्तर्गत आती है। तहसीलदार ने अपनी जांच आख्या में क्षेत्रीय लेखपाल श्री दीपक भटनागर व राजस्व निरीक्षक, श्री सुशील कुमार के हस्ताक्षर भी कराये हैं तथा इस आख्या के साथ में तहसीलदार सदर, रामपुर की तहसीलदार की पूर्व जांच आख्या संलग्न है जिसमें माजिद अली की जाति को 'सामान्य जाति' का ही माना गया है व इसके साथ ही श्री माजिद अली का 'शेख सरवरी' का जाति प्रमाण संख्या 960/95 जोकि तहसीलदार कार्यालय सदर, रामपुर से दिनांक 24.04. 1995 को निर्गत है, की छायाप्रति भी संलग्न है तथा दिनांक 31.12.2005 को तहसीलदार सदर से पुनः निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या 2986/05 जोकि 'शेख सरवरी' पिछड़ी जाति के अन्तर्गत है, संलग्न है तथा इसके साथ ही राजकीय मान्यता प्राप्त श्री भगीरथी इण्टर कालेज, सोंरो शूकर क्षेत्र (कांशीराम नगर) से माजिद अली के क्लास दसवीं की रमन 2004 की टी0सी0 की छायाप्रति संलग्न है जिसमें उनकी जाति मुस्लिम (शेख) लिखी है तथा इसी के साथ ही जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, रामपुर का पत्रांक निदे0/पि0व0क0/2013-14 दिनांक 06 जनवरी, 2014 संलग्न है जिसमें उन्होंने तहसीलदार टाण्डा, जनपद रामपुर को भ्रामक आख्या प्रस्तुत करने वाले लेखपाल व राजस्व निरीक्षक के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने की संस्तुति की है। जिला स्तरीय जांच समिति, रामपुर की भी आख्या संलग्न है जिसमें भी श्री माजिद अली की जाति को 'मुस्लिम शेख' का होना सत्यापित किया गया है जोकि सामान्य जाति के श्रेणी में आती है। इसके बाद आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद के यहां श्री माजिद अली की अपील को भी नियमानुसार सुनवाई के बाद निस्तारित किया गया जिसमें भी श्री माजिद अली को 'मुस्लिम शेख' की जाति जोकि सामान्य श्रेणी में आती है, का होना पाया गया और उन्हें पूर्व में निर्गत 'शेख सरवरी' जाति का जाति प्रमाण पत्र सख्या 2986/05 दिनांक 31.12.2005 को निरस्त कर दिया गया।

(5)-श्री माजिद अली उपरोक्त के विरूद्ध श्री माजिद अली पुत्र शब्बीर हुसैन निवासी मुर्तियापुरा बजटपट्टी, थाना-टाण्डा, जिला रामपुर ने थाना टाण्डा पर दिनांक 25.01.2011 को मु0अ0सं0 150/2011 धारा 420/504/506 आईपीसी का कायम कराया है जिसमें धोखाधड़ी से फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा कर प्रधान का चुनाव लड़ने का जिक्र है, के एन0आई0आर0 की कापी संलग्न है जिसने विवेचना के बाद आरोप पत्र संख्या 67/2011 दिनांक 3.3.2011 प्रेषित है जिसमें श्री माजिद अली को धारा 420,504,506 का दोषी पाया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

8- सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा की गयी जाँच में पूछ-ताछ, सम्बन्धित पक्षों एवं विपक्षों के लिये गये बयान अभिलेखीय साक्ष्यों के विश्लेषणोंपरान्त यह स्थिति प्रकाश में आयी कि क्षेत्रीय लेखपाल व क्षेत्रीय जनता के अनुसार ग्राम झुरूकझुण्डी में 'शेख सरवरी' पिछड़ी जाति के लोग रहते ही नहीं हैं। इस गांव में केवल 'शेख' जाति के ही मुसलमान रहते हैं जोकि सामान्य जाति की श्रेणी में आते हैं। श्री माजिद अली ने पूर्व में अपने पक्ष में मिथ्यापूर्ण अभिलेख प्रस्तुत कर धोखाधड़ी से तहसील, सदर-रामपुर से अपने पक्ष में अन्य पिछड़े वर्ग की 'शेख सरवरी' जाति का जाति प्रमाण पत्र संख्या 2986/2005 दिनांक 31.12.2005 प्राप्त किया गया था जिसे तहसीलदार, टाण्डा जनपद-रामपुर की जांच आख्या के आधार पर दिनांक-31.12.2005 को निरस्त किया गया। तहसीलदार, टाण्डा ने अपने पत्रांक-130/रा0पि0/2016, दिनांक-23.01.2016 में सतर्कता प्रकोष्ठ को प्रेषित अपनी आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक-20.12.2010 को श्री आस मोहम्मद पुत्र श्री हामिद अली निवासी-ग्राम झुरूकझुण्डी तहसील टाण्डा ने माजिद अली पुत्र वाजिद अली निवासी ग्राम-झुरूकझुण्डी, तहसील टाण्डा जनपद-रामपुर के विरूद्ध अन्य पिछड़े वर्ग की (शेख सरवरी) जाति का जाति प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाये जाने की शिकायत की गयी थी। उक्त शिकायती पत्र पर कार्यवाही करते हुये तत्कालीन तहसीलदार सदर, रामपुर द्वारा तत्कालीन राजस्व लिपिक से आख्या मांगी गयी चूंकि वर्ष 2010 से उक्त ग्राम झुरूकझुण्डी तहसील टाण्डा के अन्तर्गत आ गया था। अतः तहसीलदार टाण्डा से जांच आख्या प्राप्त की गयी जिस पर तहसीलदार टाण्डा ने तत्कालीन लेखपाल सोमपाल सिंह से जांच आख्या कर अपनी जांच आख्या दिनांक-27.12.2010 को तहसीलदार, सदर, रामपुर को प्रेषित किया गया। इस जाँच आख्या से यह तथ्य सामने आया कि श्री माजिद अली ने तहसील सदर रामपुर से दिनांक 24.04. 1995 को 'शेख सरवरी' जाति का अन्य पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण पत्र बनवाया था। क्षेत्रीय जनता के अनुसार ग्राम झुरूकझुण्डी में 'शेख सरवरी' जाति नहीं है 'शेख' जाति के लोग निवास करते हैं जोकि सामान्य वर्ग में आती है। श्री भगीरथी इण्टर कालेज, तुलसी जन्म भूमि, सौरोशुफर क्षेत्र कांशीराम नगर द्वारा जारी टी0सी0 में श्री माजिद अली पुत्र वाजिद अली निवासी ग्राम झुरूकझुण्डी की जाति व धर्म मुस्लिम (शेख) इस्लाम अंकित है। इसके साथ ही 1359 फसली खतौनी में भी माजिद अली के पूर्वज की जाति 'शेख' दर्ज है जोकि अन्य पिछड़े वर्ग में ही आती है। प्रमुख शिकायतकर्ता तथा ग्राम झुरूकझुण्डी के ही निवासी श्री शराफत पुत्र बुद्धा ने अपने शिकायत पत्र में श्री माजिद अली के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर इन्हें निर्गत अन्य पिछड़े वर्ग की 'शेख सरवरी' जाति का जाति प्रमाण पत्र संख्या-2986/2005, दिनांक 31.12. 2005 को फर्जी शैक्षिक अभिलेखीय के आधार पर होना प्रमाणित किया जिस पर जिला विद्यालय निरीक्षक, कासगंज को नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश हुआ था। मण्डलीय अपीलीय फोरम, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद ने भी श्री माजिद अली पुत्र वाजिद अली की अपील को निरस्त करते हुये उन्हें अन्य पिछड़े वर्ग का निर्गत जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया। दिनांक 10.07.2015 को इस प्रकरण की जांच के ही क्रम में यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि मो0 अली पुत्र शब्बीर हुसैन निवासी ग्राम मुतियापुर बजटपट्टी, तहसील-टाण्डा जनपद, रामपुर द्वारा माजिद अली पुत्र वाजिद अली निवासी झुरूकझुण्डी तहसील टाण्डा जनपद रामपुर के विरूद्ध दिनांक-25.01.2011 को फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ने व गाली गलौज करने तथा जाने से मारने की धमकी के संबंध में थाना व तहसील-टाण्डा जिला-रामपुर में दिनांक 25.01.2011 को एफ0आई0आर0 कायम कराई गयी थी जिसमें विवेचक द्वारा श्री माजिद अली पुत्र वाजिद अली के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 03.07.2011 को धारा 420/504/506 आई0पी0सी0 का जुर्म साबित करते हुये प्रेषित किया गया जो मामला न्यायालय में विचाराधीन हैं।

अतएव सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा अपनी जांच आख्या के निष्कर्ष में अपीलार्थी श्री माजिद अली पुत्र श्री वाजिद अली निवासी-ग्राम झुरूकझुण्डी, तहसील-टाण्डा, जनपद-रामपुर की जाति 'शेख' सामान्य वर्ग की पायी गयी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

9- अतएव प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं अभिलेखों के परिशीलनोपरान्त राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपीलार्थी श्री माजिद अली पुत्र श्री वाजिद अली निवासी-ग्राम झुरूकझुण्डी, तहसील-टाण्डा, जनपद-रामपुर अन्य पिछड़े वर्ग की 'शेख सरवरी' जाति के सदस्य नही है बल्कि यह 'शेख' सामान्य वर्ग के मुसलमान है।

तदनुसार राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी द्वारा याची की उक्त अपील दिनांक-14.09.2016 को एतद्द्वारा निस्तारित की जाती है।

श्री विकास शर्मा, संयुक्त निदेशक, प्रतिनिधि निदेशालय पिछडा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ	केदार नाथ निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्था, उ0प्र0, लखनऊ	मनोज सिंह प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग/अध्यक्ष, राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी उ0प्र0शासन

<u>पृ0संख्या-210/2016/आर-5750(1)/26-3-2016 तददिनांकः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिलाधिकारी, रामपुर।
2- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।
4- श्री माजिद अली पुत्र श्री वाजिद अली निवासी-ग्राम झुरूकझुण्डी, तहसील-टाण्डा, जनपद-रामपुर।
5- श्री सराफत अली पुत्र बुद्धा निवासी-ग्राम झुरूकझुण्डी, तहसील-टाण्डा, जनपद-रामपुर।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।